

17/2012 शंकर लाल / मंगूराम

दिनांक	आज्ञा पत्र	क्रमांक
--------	------------	---------

29.5.12

पत्रावली पेश। प्रकरण की रजिस्ट्रेशन की तारीख शेष है। इस हेतु अपीलान्त शेष रजिस्ट्रेशन के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हों। ताकि अपील का शीघ्रतिशीघ्र निस्तारण किया जा सकें पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 28.6.12 को पेश हों।

28.6.12

पत्रावली प्रस्तुत अभिभावक सच में आले न्यायिक कार्य स्थापित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 11.10.12 को पेश हों।

11.10.12

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तारीख से शेष रजिस्ट्रेशन के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.सी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 24.1.12 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

ABL

24.1.12

पत्रावली पेश वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तारीख से शेष रजिस्ट्रेशन के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.सी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त में रजिस्ट्रेशन के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। कलकत्ता अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.सी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनया गया। पत्रावली केवल गुप्त होकर नगर से कम होकर अदर तलबी तक हीन दस्तिल करवाये।

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
बदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्डान)

